न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 19/2015

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. नेमीचंद पुत्र तुलसाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी तहसील— सोजत सिटी, जिला— पाली, राजस्थान		1. पुकली पुत्री नेनाराम पत्नि सोहनलाल जाति माली निवासी नयापुरा सोजत सिटी तहसील सोजत 2. जेठी पत्नि ढगलाराम 3. परमानंद 4. लक्ष्मीनारायण 5. अंजु पिसरान ढगलाराम जाति माली निवासीगण बेरा गोरवा सोजत सिटी तहसील सोजत जिला— पाली, राजस्थान। 6. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. **श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।**
2. **श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।**

—: निर्णय :— दिनांक 05/8/24

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा सोजत सिटी चक नम्बर 1 के रिवाईज्ड सैटलमेंट के पुराने खसरा नंबर 282/11 रकबा 17 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई है। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 01 के पिता तुलछाराम पुत्र गणेशराम का हक हिस्सा 1/2 व अप्रार्थी सं0 1 से 5 के ससुर व दादा नेनाराम पुत्र गणेशराम का 1/2 हक हिस्सा कब्जा काश्त का है। जमाबंदी संवत् 2022—25 व 2030—33 में नेनाराम, तुलछाराम पिसरान गणेशराम के नाम की खातेदारी दर्जसुदा है। रिवाईज्ड सैटलमेंट के वक्त सैटलमेंट अधिकारियों द्वारा पुरानी प्रवृष्टि को नहीं दोहराकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 के पिता तुलछाराम तथा अप्रार्थी सं0 1 से 5 के पिता, ससुर व दादा नेनाराम पुत्र गणेशराम के स्थान पर अप्रार्थी सं0 7 लगायत 19 के पूर्वज पेमा पुत्र हिरा के नाम विधि विरूद्ध रूप से खातेदारी दर्ज कर दी। सोजत चक प्रथम के पुराने खसरा नंबर 282/11 रकबा 17 बिस्वा के नये खसरा नंबर 2039 रकबा 0.13 है0 दर्ज हुई। जिसमें पेमा पुत्र हिरा का नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। वादस्थ कृषि भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 मगाराम के पिता तुलछाराम का 1/2 हिस्सा तथा नेनाराम पुत्र गणेशराम का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिये था। तहसीलदार सोजत द्वारा गलत रूप से मिलीभगत कर अप्रार्थी सं0 2, 3, 4, 5 व 6 के भाई/पति/पिता ढगलाराम पुत्र नेनाराम के नाम खातेदारी दर्ज कर दी, जिसका उन्हे विधिक अधिकार नहीं था। मात्र खातेदारी बंटवाड़ा दिनांक 30.12.1981 के आधार पर ढगलाराम पुत्र नेनाराम को खातेदारी दी गई एवं दर्ज किया गया नामा0 सं0 178 अवैधानिक होने से शून्य व बेअसर है। अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने से वादस्थ भूमि का बेचान, हस्तानान्तरण, रहन, वसीयत करने पर आमादा है एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु उतारू है। यदि वह ऐसा कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णणीय क्षति होगी। वादस्थ कृषि भूमि के पुराने खसरा नंबर 282/11 रकबा 17 बिस्वा की कृषि भूमि प्रार्थी के पिता तुलछाराम के नाम की दर्जसुदा थी। सैटलमेंट की गलती की वजह से नये खसरा

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

नंबर 2039 रकबा 0.13 है0 पेमा पुत्र हिरा के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी गई। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे है। वादस्थ भूमि का यदि बेचान, हस्तानान्तरण, रहन आदि कर दिया जाता है एवं प्रार्थी को वादस्थ कृषि भूमि से बेदखल करने से अप्रार्थीगण कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण का अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नं0 2039 रकबा 0.13 है0 कृषि भूमि के प्रार्थी के 1/4 हक हिस्से का बेचान, रहन एवं अन्य हस्तानान्तरण करने एवं प्रार्थी के कब्जा काश्त मे व्यवधान उत्पन्न करने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

2 अप्रार्थीगण स0 1 से 5 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र मय प्रारंभिक आपत्तिया सहित पेश किया, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी के नाम से वाद एवं प्रार्थना पत्र दर्ज करवाया है, जबकि मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर महोदय के समक्ष एवं नाम से ही पेश किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा 3 दिवस के भीतर आदेश 39 नियम 3 सी0पी0सी0 की पालना नही की है। जिससे एकपक्षीय आदेश निरस्त योग्य है। पदवार जबाव का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

3 प्रार्थीगण द्वारा गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर आधारहीन मूल वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण ने तथ्य को छुपाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2022–25 के अनुसार खसरा नंबर 282/5, 282/6, 282/8, 282/11, 282/12 कुल खसरा 05 कुल रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नंबर 321/2, 321/12, 321/19 कुल खसरा 03 कुल रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा था। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में नेना, तुलछा बेटा गणेश जातरा माली के नाम सामलाती दर्जसुदा थी। वक्त सैटलमेंट ही उक्त भूमि का बंटवाडा कर खातेदारीया अलग अलग कर दी गई थी। खसरा 282/11 को छोडकर अन्य खसरा नंबरान जो जमाबंदी सम्वत् 2022–25 मे सामलाती दर्जसुदा थी कि क्या स्थिति है व खसरा नंबर किस किस के हिस्से में आये हुए है के तथ्यों को जानबुझ कर छिपाया गया है। वास्तविकता में खसरा नंबर 282/11 रकबा 17 बिस्वा भूमि प्रार्थी के पिता के हिस्से में नहीं रही। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं0 7 से 19 के पूर्वज श्री पेमा पुत्र हिरा होना लिखा है जबकि प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं0 7 से 19 पक्षकार है ही नहीं। नया खसरा नंबर 2039 पुराने खसरा नंबर 282/11 अकेले से नहीं बना है यह खसरा 282/11/1 से भी बना है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 एक मगाराम का होना बताया है, जबकि मगाराम पक्षकार है हि नहीं। खसरा नंबर 2039 पर तुलछा पुत्र गणेश का कभी भी कब्जा नहीं रहा। प्रार्थना पत्र पुर्णतया कुसंयोजन तथा असंयोजन होने से अस्पष्ट है। सैटलमेंट के दौरान सैटलमेंट अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर पत्रावली संख्या 359/79 के जरिये एआरओ जोधपुर के निर्णय व आदेश दिनांक 26.04.79 के अनुसार खसरा नंबर 2039 में नैनाराम के स्थान पर ढगलाराम का नाम दर्ज किया गया। जिससे प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य कि तहसीलदार द्वारा ढगलाराम को खातेदारी दी गई है यह गलत है। नामा0 सं0 178 कतई विधि विरूद्ध नहीं है। वादस्थ कृषि भूमि पर कभी भी प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं कब्जे के अभाव में बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जिससे बेदखल करने की बात बेबुनियाद है। वादस्थ कृषि भूमि अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है एवं अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार भी है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

4 बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सैटलमेंट अधिकारियों द्वारा रिवाईज्ड सैटलमेंट में अपने अधिकारों से परे जाकर अप्रार्थीगण के पिता, ससुर व दादा का नाम इन्द्राज कर दिया एवं तहसीलदार सोजत द्वारा नामा0 सं0 178 दिनांक 19.02.1982 के

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

जरिये विधि विरूद्ध तरीके से ढगलाराम पुत्र नेनाराम का नाम दर्ज कर दिया। अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर भूमि का बेचान, रहन करने पर उतारू है तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने में आमादा है। जिससे की उन्हे वाद निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है। जबाव बहस में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पूर्णतया अस्पष्ट, कुसयोजन से युक्त है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य रेकर्ड के आधार पर साबित नहीं होते है। प्रार्थीगण ने तथ्यों को छुपाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है। ढगलाराम को खातेदारी तहसीलदार सोजत द्वारा नहीं दी जाकर एआरओ साहब जोधपुर द्वारा प्रार्थना पत्र पत्रावली संख्या 359/79 कायम कर निर्णय दिनांक 26.04.1979 को पारित कर नेनाराम के स्थान पर ढगलाराम को खातेदारी दर्ज करायी है। अप्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है, रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रतिवादी पक्षकार एवं प्रार्थना पत्र के वर्णित पदों में अप्रार्थी पक्षकारों के क्रंमाक पूर्णतया अस्पष्ट है एवं मगाराम के नाम से कोई भी व्यक्ति न तो प्रार्थी पक्षकार है और न ही अप्रार्थी पक्षकार संयोजित है। किन्तु प्रार्थना पत्र में मगाराम को अप्रार्थी सं0 1 बताया गया है। पक्षकारों के हक अधिकारों को मूल वाद मे तनकी कायम की जाकर साक्ष्य सबूत पर गुणावगुण पर तय किये जायेगे। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है। वर्तमान परिपेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को यथावत रखना उचित नहीं समझते है।

–:: आदेश ::–

6 अतः उपरोक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(कुसुमलता चौहान)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 05/03/21 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)